UG Sem-II (1) 20 April

समस्याएँ भी विकसित हो गई है, जो यह समस्याएँ वही है जो अनुसूचित जातियों की है, जो तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु वही प्रयास किए गए है, जिनका विवेचन अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास हेतु शीर्षक विषय के अनुसार किया गया है।

21 सूत्रीय दलित एजेण्डा अथवा भोपाल घोषणा पत्र

12, 13 जनवरी 2002 को मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में दलित बुद्धिजीवियों का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 21 सूत्रीय दलित एजेण्डा पर मोहर लगाई है। इस एजेंडे को "भोपाल घोषणा पत्र" भी कहा जाता है। यह 21 सूत्रीय एजेण्डा निम्न प्रकार का है:-

(i) सामाजिक एवं आर्थिक खुशहाली के लिए प्रत्येक दलित परिवार के पास पर्याप्त खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। सरकार को बंजी भूमि, सरकारी राजस्व भूमि और मंदिरों की भूमि का बटवारा निर्धारित समय अवधि के बीच निपटा लेना चाहिए। यदि जरुरत महसूस हो तो सरकार कृषि योग्य जमीन खरीद कर दलितों में बांट दें।

(2)

(ii) ग्रामीण एवं नगरीय सार्वजनिक संपत्ति को दलितों के द्वारा उपयोग करने संबंधि कानून बनाए चाहिए। और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। दलितों को कानूनी न्याय दिलाने के लिए मुकदमों को लम्बा न खिंचा जाए। जिसके लिए कानून में संशोधन किया जाए।

(iii) दलित खेतीहर मजदूरों को गुजारे योग्य मजदूरी मिले। मजदूरी के भुगतान, काम की सुरक्षा, और कार्यक्षेत्र में बेहतर माहौल संबंधि कानून बनाए और लागू किए जाए। और कानून का सम्मान न करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक नियम होना चाहिए।

(iv) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समितियाँ बनाई जाए ताकि दलितों की जमीन पर गैरदलितों के कब्जे की पहचान कि जा सके। दलितों के जमीन पर कब्जा किए गए गैरदलितों से मुआवजा वसूला जाए। जमीन के असल हकदारों की पहचान हो, और उनके नाम की जमीन उन्हें वापस की जाए तथा अदालतों द्वारा गैर कानूनी कब्जा करने वालों को दण्डित किया जाए।

(v) जिन आदिवासियों की जमीन छीनी जा सकी है, उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। आ को वन, वन उत्पादों तथा वन संसाधनों के उपयोगों का अधिकार प्राप्त हो। उनकी जमीन पर बाँध बनने या कारखाने लगने की स्थिति में विस्थापितों को उसमें अधिकार मिले तथा पुनर्वास

Scanned with CamScanner